Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : SUROTH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date 20-02-2024 10:20 AM

Fee Receipt No	:	202402189000159	Receipt Date	:	20/02/2024
Name	:	PREM SHANKAR GAUTAM,	Document S. No.	:	202401189000139
Address	:	...			
Document Type	:	Copy Of Document			
Face Value	:	₹ 0	Evaluated Value	:	₹ 0
Ord-Registration Fee	:	₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 0	Certified copying fees Us_57	:	₹ 100
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 30	Stamp Duty	:	₹ 100
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 230**
			Total Amount	:	**₹ 230**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 85622855 ₹ 230

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

उप पंजीयक

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

W 097136

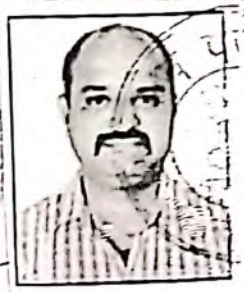

(1)

ग्रान पंचायत सूरौठ पंचायत समिति हिण्डौन सिटी जिला परिषद करौली द्वारा सचिव श्री प्रवेश पाठक ..... प्रथम पक्ष

वहक

इन्दिरा गाँधी स्मृति शिक्षण संस्थान सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली जरिये मंत्री श्री सुरेन्द्र मोहन शर्मा पुत्र श्री रघुनन्दन लाल शर्मा आयु 62 साल जाति ब्राहमण निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन ..... द्वितीय पक्ष

"प्रारूप–23–क"

(नियम 157(1) देखिए)

शैक्षणिक (अन्य) संस्थान को आवंटित भूमि का पट्टा

ग्राम पंचायत सूरौठ
पं०स० हिण्डौन (करौली)

यह विलेख आज दिनांक 17/04/2017 को प्रथम पक्ष, पंचायती राजस्थान अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं.13) के अधीन स्थापित पंचायत –(पंचायत का नाम) सूरौठ (जिसे इसमें इसकें पश्चात् –

उप पंजीयक
सूरौठ (करौली)

सचिव
ग्राम पंचायत सूरौठ
पं०स० हिण्डौन (करौली)

Scanned with CamScanner

छाया प्रति प्रमाणित

उप पंजीयन सूरौठ

Scanned with OKEN Scanner

बही संख्या-14/2011 12
191 17.4.17
1001
बेदपरा शोधी स्मृति शिक्षा संस्थान
आरोपे मध्यो सुरेन्द्र साहित्यी 810 रघुनाथ नगर
सूरीठ dt. हनुमान

10
उम्मेद सिंह गौतम सूरोठ
तैयार करने की तिथि 19-02-24
तैयार होने की तिथि 19-02-24
सकल होने की तिथि 20-02-24
पृष्ठ 1001
कागज सकल 1001

RO सकल तैयार कर्ता

दिनांक 18 माह 04 सन् 2017 ई.
वजे श्री/श्रीमती/सुश्री देवेश पाठक सचिव ग्रा०प० सूरोठ
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री राजाराम
उम्र 38 वर्ष, जाति ब्रा० व्यवसाय सर्विस
निवासी बेदपरा नं०
सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया.

RO प्रस्तुतकर्ता

RO या पंजीयक

सचिव
ग्रा०प० सूरोठ (करौली)

रसीद नं. 1/2017/1233265 दिनांक 18/04/17
पंजीयन शुल्क रुपये 7990
पहिलेपि शुल्क रुपये 3000
[illegible] रुपये
अन्य शुल्क रुपये
कर्मी स्टाम्प शुल्क रुपये
कुल योग रुपये 10990/-

उप पंजीयक

छाया प्रति प्रमाणित
उप पंजीयन सूरोठ

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

'आवंटन' प्राधिकारी कहा गया है) तथा दूसरे पक्ष – इन्दिरा गाँधी स्मृति शिक्षण संस्थान सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवंटिती" कहा गया हैं) के बीच किया जाता हैं।

यतः

इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि, जो उसे लाल रंग से सीमावद्ध दर्शित करती हैं, आबंटन के प्रयोजन के लिये आवंटन प्राधिकारी में निहित हैं। यह भूमि परिवर्तित शैक्षनिक भूमि खसरा नंम्बर 2160/1 में स्थित है।

यह पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अधीन निम्नलिखित शर्तो पर इन्दिरा गाँधी स्मृति शिक्षण संस्थान सूरौठ द्वारा श्री सुरेन्द्र मोहन शर्मा निवासी सूरौठ के पक्ष में जारी किया जाता हैं :–

शैक्षणिक उपयोग हेतू।

1. पूर्वाक्त आवंटिती का पचास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा/ पंचायत शैक्षनिक (संस्थानिक) भूमि पर राजस्थान पंचायती राज विभाग 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले पचास वर्षो के दौरान संनिर्मित किया गया हैं। आवंटिती ने एक सौ/दो सौ रूपये की फीस निक्षिप्त कर दी हैं। जरिये रसीद संख्या 18331 दिनांक 17.04.17 से 1885/–रूपया जमा करा दिये हैं।

2. उपाबद्ध मानचित्र योजना में भूमि का क्षेत्र लाल स्याही से चिन्हित हैं।

उप पंजीयक
सूरौठ (करौली)

सचिव
ग्राम पंचायत सूरौठ
पं०स० हिण्डौन (करौली)

छाया प्रति प्रमाणित
उप पंजीयन सूरौठ

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

जोड़िये

उक्त विक्रेता श्री/श्रीमती/श्री प्रवेश पाठक खनिव हस्ताक्षर | अंगूठा निशानी
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री. राजाराम शान्तिस्वरूप
उम्र 38 वर्ष, जाति. ब्राह्मण व्यवसाय. सरिश्ता
निवासी. शास्त्री नगर
पिलेला श्री/श्रीमती/सुश्री.
पुत्री/पत्नी श्री.
उम्र.....वर्ष जाति. व्यवसाय.
निवासी.

उप जीपिक
सूरौठ (करौली)

मंत्री जोड़िये

उक्त क्रेता/क्रेत्री श्री/श्रीमती सत्ता सुरेन्द्रमोहन शर्मा हस्ताक्षर | अंगूठा निशानी
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री. स्यु नन्दन शर्मा
उम्र 62 वर्ष, जाति. ब्राह्मण व्यवसाय. सेवानिवृत्त
निवासी. सूरौठ
क्रेताश्री/श्रीमती/सुश्री.
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.
उम्र.....वर्ष जाति. व्यवसाय.
निवासी.
ने लेख पत्र..... का पढ़ सुन व समझकर निष्पादन
करना स्वीकार किया प्रतिफल राशि 2,88,200/-
न पर हस्ताक्षर/अंगूठा लगा स्वीकार किया

छाया प्रति प्रमाणित
उप पंजीयन सूरौठ

Scanned with OKEN Scanner

3. आवंटिती घर के पुनर्निर्माण के लिए उधार लेने के लिए दस्तावेज सरकारी उपक्रम, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था के पास बन्धक रख सकता हैं।

4. आवंटिती सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को संदेय समस्त करों या अन्य प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा।

संकल्प संख्या 2 दिनांक 17.04.2017 की अनुपालना में आज दिनांक 17.04.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया।

लेख पत्र दिनांक :– 17.04.2017 ई0

हस्ताक्षर गवाह :–

(1) S/o
जाति-
निवासी-

(2) S/o
जाति-
निवासी-

हस्ताक्षर सचिव

सचिव
ग्राम पंचायत सूरौठ
पं०स० हिण्डौन (करौली)

हस्ताक्षर खरीददार

सहायक
सूरौठ (करौली)

छाया प्रति प्रमाणित
उप पंजीयन सूरौठ

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

धारा 54 के तहत प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र की मालियत रुपये 708150/- जानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि ...X..... पर कमी पंजीयन शुल्क रुपये 2000/- कुल रुपये 7350/- जरिये रसीद संख्या MP06041628326S दिनांक 18/01/16 को जमा किये गये है।

उक्त दस्तावेज को रुपये 7350/- के मुद्रांक पर निष्पादित माना जाता है।

उप पंजीयक सूरौठ

निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्रीमती/सुश्री कृष्णकुमारी पुत्री/पुत्री/पत्नी श्री रघुनंदन उम्र 23 वर्ष, जाति ..... व्यवसाय गृहणी निवासी ग्राम सूरौठ

2. श्री/श्रीमती/सुश्री सजनकुमारी पुत्री/पुत्री/पत्नी श्री [illegible] उम्र 26 वर्ष, जाति ..... व्यवसाय गृहणी निवासी ग्राम सूरौठ

..... ने की है।

उप पंजीयक सूरौठ

छाया प्रति प्रमाणित

उप पंजीयन सूरौठ

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पंचायत सूरौठ पंचायत समिति हिण्डौन सिटी जिला परिषद करौली द्वारा सचिव श्री प्रवेश पाठक ..... प्रथम पक्ष

वहक

इन्दिरा गाँधी स्मृति शिक्षण संस्थान सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली जरिये मंत्री श्री सुरेन्द्र मोहन शर्मा पुत्र श्री रघुनन्दन लाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली ..... द्वितीय पक्ष

नक्शा नजरी पट्टा भूमि ग्राम सूरौठ

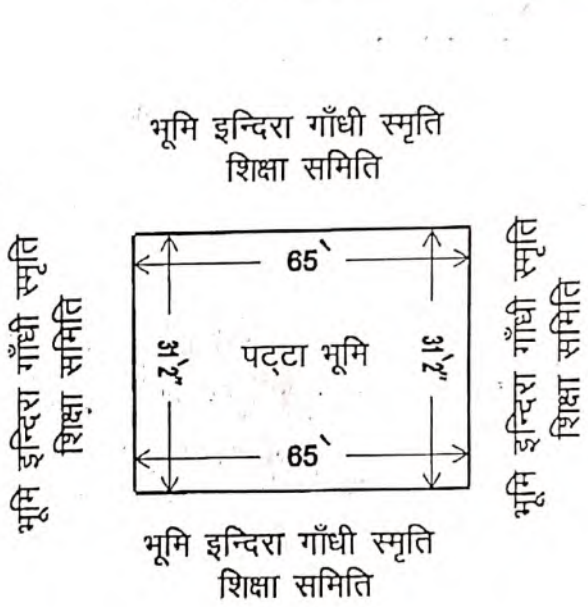

पट्टा भूमि

कुल क्षेत्रफल = 2025.4 वर्गफिट

उप पंजीयक
सूरौठ (करौली)

हस्ताक्षर उपसचिव
ग्राम पंचायत सूरौठ
पं०स० हिण्डौन (करौली)

छाया प्रति प्रमाणित
उप पंजीयन सूरौठ

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत

आज दिनांक 18/04/17 को [illegible] पर
जिल्द सं० 8 [illegible] पर ००२ /
क्रम सं० ००२ पर पंजीकृत किया गया। अति०
प्र०सं०.. 1 ..... जिल्द सं० 8...
पृष्ठ सं० ..... पर चस्पा किया गया
09ले०16

उप पंजीयक
सूरो०

छाया प्रति प्रमाणित
उप पंजीयन सूरौठ

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पंचायत....सूरौठ पं.स. हिण्डौन कि.....जिला करौली (राज.)

पट्टा सं. 9263

"प्रारूप–23–क"

(नियम 157 (1) देखिए)

दिनांक 12/4/17

सचिव
ग्राम पंचायत सूरौठ
पं०स० हिण्डौन (करौली)

आवासीय भूमि का पट्टा

यह विलेख आज दिनांक 12.4.17 को प्रथम पक्ष, पंचायती राजस्थान अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन स्थापित पंचायत–(पंचायत का नाम) सूरौठ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवंटन प्राधिकारी" कहा गया है) और दूसरे पक्ष श्री/श्रीमती/सुश्री इन्दिरा गांधी पुत्र/पुत्री/पत्नी स्मृति (आवास) संस्थान - नूपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवंटिती" कहा गया है) के बीच किया जाता है।

यत:

इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि, जो उसे लाल रंग में सीमाबद्ध दर्शित करती है, आवंटन के प्रयोजन के लिए आवंटन प्राधिकारी में निहित है।

यह पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर श्री/श्रीमती/सुश्री इन्दिरा गांधी स्मृति (आवास) संस्थान पुत्री/पुत्री/पत्नी नूपुर के/सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी के पक्ष में जारी किया जाता है :–

1. पूर्वोक्त आवंटिती का पचास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा है/पुश्तैनी (खातेदारी) आबादी भूमि पर राजस्थान पंचायती राज विभाग 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले पचास वर्षों के दौरान संनिर्मित किया गया है। आवंटिती ने एक सौ/दो सौ रूपये की फीस निक्षिप्त कर दी है। 1885/- रु पंचायत
2. उपाबद्ध मानचित्र योजना में भूमि का क्षेत्र लाल स्याही से चिह्नित है। खसरा नं 1833/2, 12 5 15
3. आवंटिती घर के पुनर्निर्माण के लिए उधार लेने के लिए दस्तावेज सरकारी उपक्रम, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था के पास बंधक रख सकता है।
4. आवंटिती सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को संदेय समस्त करों या अन्य प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा।

संकल्प सं. 2 दिनांक 12.4.17 की अनुपालना में आज दिनांक 12.4.17 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया।

पश्चातवर्ती श्री खनिज भूमि खसरा नं. 2160/1, ग्राम सूरौठ

सचिव
ग्राम पंचायत सूरौठ
हस्ताक्षर सचिव
पं०स० हिण्डौन (करौली)

उप पंजीयक
सूरौठ (करौली)

सरपंच
हस्ताक्षर सरपंच सूरौठ

छाया प्रति प्रमाणित
उप पंजीयन सूरौठ

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

(सीमांकन किया गया.....ग्रा.प.....तहसील साहिबाबाद

1. उत्तर में जिला ..... A मि कार्ड

2. दक्षिण .....

3. पूर्व .....

4. पश्चिम .....

मानचित्र :- (मानचित्र में दर्शित भूमि लाल स्याही से सीमांकित है।)

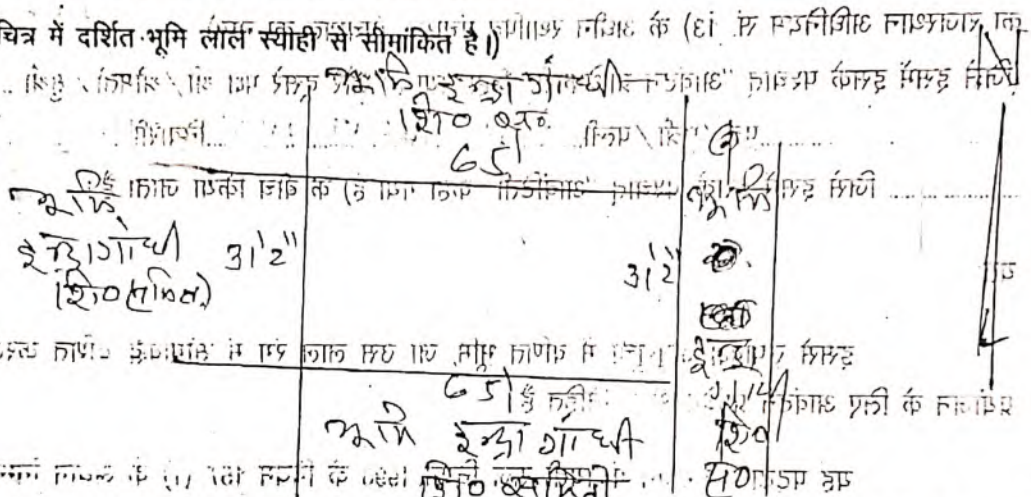

माप :-

उत्तर की ओर .....

दक्षिण की ओर .....

पूर्व की ओर .....

पश्चिम की ओर .....

कुल क्षेत्र ..... वर्ग गज

हस्ताक्षर सचिव
ग्राम पंचायत सूरौठ
पंठसं० हिण्डौन (करौली)

छाया प्रति प्रमाणित
उप पंजीयन सूरौठ

हस्ताक्षर सरपंच

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner